

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, शाहपुरा

सोराय को रवाना शंभरनाथ लाल को
अपील प्रकरण सं. 62 सन 2025

क्रमांक न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर शाहपुरा
संख्या न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर शाहपुरा

22.12.25 न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा से प्रकरण स्थानान्तरण
होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। प्रकरण को पंजीबद्ध किया
जाकर उभय पक्षों को नोटिस जारी करें। प्रकरण आगन्दा सुनवाई हेतु
दिनांक 24.12.2025 को पेश करें।

अति० जिला कलक्टर
शाहपुरा

24-12-2025

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी को 2 उपस्थित।
अपीलार्थी पक्ष की ओर से श्री ~~शंभरनाथ लाल~~ ^{कुमलेश सुबोदिया} ने
सुप्रीमर पत्र प्रस्तुत किया जिसे शा. जा. किया
गया। अपीलार्थी पक्ष ने प्रत्यर्थी का मृत्यु प्रमाणपत्र
प्रस्तुत कर उनके वैद्य प्रतिनिधियों को कायम सु. बनाने
हेतु अवसर चाहा। अपीलार्थी पक्ष विहीत समय वकिल
में प्रत्यर्थी के वैद्य प्रतिनिधियों की प्रतिस्थापना हेतु
धोबेदन तथा उनकी सूचनाथे तामील हेतु स्वयं के
अपिल से Reg. No. के लिख सम्मन/नोटिस पेश करें।
तामिल जारी हो। पत्रावली 09.01.2026 को पेश हो।

शंभरनाथ लाल

अति. जिला कलक्टर
शाहपुरा

09.01.26 पत्रावली पेश। उभय पक्ष बावजूद तलकी
अनुपस्थित। न्यायालय द्वारा बार्-2 भावार्ज
लगवाने के उपरान्त भी न तो अपीलार्थी और
न प्रत्यर्थी और न ही उनके वैधिक प्रतिनिधि /
वकिलद्वारा उपस्थित काये।

कतः पत्रावली कारगर्त कादेश 9 नियम 3
बीकानेरी धारिज की जाती है।

पत्रावली केवल सुमार छे नम्बर से दम
श्री न्यायालय शामिल दफतर हैं।
निर्णय सरे इजलास द्वारा शम्पा
अति. जिला कलक्टर
शाहपुरा